

हुक्म
में ज

VERBODEN TOEGANG

हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए।

31/03 1862 ACT

वकीलों के कन्डोलिस के कारण पूर्वानुसार वास्ते... रिफार्ड...
दिनांक 11/9/11 को पेश हो।

2

वकीलों के कन्डोलिस के कारण पूर्वानुसार वास्ते... रिफार्ड...
दिनांक 20/8/11 को पेश हो।

2

वकीलों के कन्डोलिस के कारण पूर्वानुसार वास्ते... रिफार्ड...
दिनांक 20/8/11 को पेश हो।

2

वकील फरीकन उप०/३०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 4/12/11 को पेश हों।

वकील फरीकन उप०/३०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 15/1/11 को पेश हों।

वकील फरीकन उप०/३०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 19/2/11 को पेश हों।

वकील फरीकन उप०/३०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 9/4/11 को पेश हों।

6/11- प्रवावली आज लोड काल में पेश हुई।
डाया हाजिर हो। प्रार्थना फल प्रार्थी स्वीकार
किया जाता है। कलेस प्रसकले सिखाया जाकर
शकसिल प्रवावली किया गया। प्रवावली प्रसल
सुमा लोकर इतलिय सुतरली पुरी

“ खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र ”

(रा.भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

उप खण्ड अधिकारी महोदय

स्वेच्य कम्प - वासीरी

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खिरखिड़ा

की जनाबन्दी संवत् 2066-2069 खाता संख्या 282 में -

खातेदार का नाम सुन्दरी कुम नट्यू मीना दत्त है।

जो पट्टान पत्र संख्या F.A.M./1166362 के अनुसार राजू कुम नट्यू दत्त है। जहाँ स्वयं का नाम राजू कुम नट्यू नाम सुदीकरणी -वाहता है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थी

दिनांक:-

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान जी आवेष्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में सुन्दरी पुत्र नल्यु गीना है। जबकि इनका वास्तविक नाम राजूलाल पुत्र नल्यु गीना है। पहचान पत्र राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में इनका नाम राजूलाल ही है। अतः आवेष्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में सुन्दरी पुत्र नल्यु गीना किया जाना उचित है।

5/6/15
प्रो. ए. कावेरी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार


रिपोर्ट पटवारी व भू.अ. निरी. अनुसार सुद्धि किया जाना उचित है।

5/6/15
M.T.

TDR लघुपालिका
के.म. कावेरी

आदेश

आवेष्टा सुन्दरी पुत्र नल्यु गीना



पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत न्याय आयोग द्वारा-2015
उपखण्ड अधिकारी
जिला-इरोली (राज.)